

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - /2022 (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. अजय किराना स्टोर जरिये प्रापेराइटर- धर्मराज मीणा (ऋणी )  
पता- पटेलों का मोहल्ला, ग्राम बडा, जिला बारां राजस्थान- 325222
2. धर्मराज मीणा पुत्र रामपाल मीणा (सह-ऋणी)  
पता- वार्ड नं. 6, बारां पटेलों का मोहल्ला, बडा बारां राजस्थान-  
दूसरा पता- पट्टा नं. 2553, खसरा नं. 856, बुक नं. 1, प्लाट धर्मराज ग्राम बारां  
तहसील व जिला बारां राजस्थान- 325222  
जगदीश कुमार मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा (सह-ऋणी)  
पता- पटेलों का मोहल्ला, ग्राम बडा, जिला बारां राजस्थान- 325222  
दूसरा पता- पट्टा नं. 938, खसरा नं. 856, बुक नं. 1, धर्मराज प्लाट, ग्राम बारां  
तहसील एवं जिला बारां राजस्थान- 325222

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 4/10/22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, प्राधिकृत अधिकारी श्री भुपेन्द्र सिंह हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.2019 को 4,00,000/- रुपये (अक्षरों में चार लाख रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री धर्मराज मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा की सम्पत्ति- पट्टा नं. 2553, खसरा नं. 856, बुक नं. 1, प्लाट धर्मराज ग्राम बारां तहसील व जिला बारां राजस्थान- 325222 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 स्क्वायर फीट है, एवं चतुर्थ सीमा- पूर्व में खाली बाडा हीरालाल का, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में धर्मराज मीणा का मकान, दक्षिण में मनीष का मकान है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरावट किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं किया और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के

खाते को दिनांक 03.03.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 1,62,459/- (अक्षरे एक लाख बांसठ हजार चार सौ उनसठ रूपये) बकाया राशि दिनांक 05.03.2022 तक शेष देय है व दिनांक 06.03.2022 से आगे का ब्याज व मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एकट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.03.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 07.03.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" में दिनांक 15.03.2022 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 15.03.2022 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 07.03.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री धर्मराज मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा की सम्पत्ति- पट्टा नं. 2553, खसरा नं. 856, बुक नं. 1, प्लाट धर्मराज ग्राम बारां तहसील व जिला बारां राजस्थान- 325222 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 स्क्वायर फीट है, एवं चतुर्थ सीमा- पूर्व में खाली बाडा हीरालाल का, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में धर्मपाल मीणा का मकान, दक्षिण में मनीष का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 4/10/22 को सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला नजिस्ट्रेट  
बारां